

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2602]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936

No. 2602]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014

न.आ. 3238(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षा (संशोधन), अधिनियम, 2014 (2014 का 29) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 22 दिसम्बर, 2014 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. डीजीईटी-1(1)/2.014-एपी]

आलोक कुमार, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2014

S.O. 3238(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Apprentices (Amendment) Act, 2014 (29 of 2014), the Central Government hereby appoints the 22nd day of December, 2014 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. DGET-1(1)/2014-AP]

ALOK KUMAR, Director General/Jt. Secy.